

DFO/CF द्वारा स्थल निरीक्षण के लिये निर्धारित जॉच सूची

परियोजना का नाम :- बोदा से लखौरा मार्ग (म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग संभाग अनूपपुर)
 वन मण्डल का नाम :- अनूपपुर
 परिक्षेत्र का नाम :- राजेन्द्रग्राम
 स्थल निरीक्षण दिनांक :- 26-08-2020.

क्र.	विशेष	CF/DFO(T) द्वारा निरीक्षण की रिपोर्ट			
1	सीमा हेक्टेयर	7.35 हे.			
2	वन भूमि के स्थान (अक्षांश देशांश)	प्रस्ताव में संलग्न है।			
3	वन भूमि (संरक्षित वन / आरक्षित वन / राजस्व वन भूमि या किसी भी अन्य वन भूमि) की कानूनी स्थिति	कक्ष क्र.	लंबाई (मी.में)	चौड़ाई (मी.में)	रकबा (हे.में)
		RF-153	3750.00	7.50	2.813
		RF-154	875.00		0.656
		PF-132	4850.00		3.638
		PF-164	325.00		0.244
		Total	9800.00	7.50	7.350
4	अस्थायी केन्स आदि के साथ क्षेत्र का सीमांकन	आवेदक संस्था एवं वन कर्मचारियों के साथ संयुक्त सीमांकन चिन्हांकन किया गया है।			
5	अतिक्रमण का कोई भी लक्षण	निरंक			
6	किसी भी गतिविधि को पहले से ही उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा वन भूमि या उससे सटे गैर वन भूमि के भीतर प्रस्तावित परियोजना के भाग के रूप में उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा कर लिया गया हो तो वन संरक्षण अधिनियम के तहत दिशा निर्देशों का उल्लंघन के मामले में उपयोगकर्ता एजेंसी के खिलाफ की गई कार्यवाही का विवरण	उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा वन भूमि में कोई अवैध कार्य नहीं किया गया है।			
7	वनस्पति की स्थिति। साइट की गुणवत्ता/प्रजाति संरचना आदि	साल एवं मिश्रित वन है, साइट की गुणवत्ता श्रेणी IV-A, IV-B एवं घनत्व 0.6 का है।			
8	वन्य जीवन की दृष्टि से क्षेत्र का महत्व। वन्य जीव की स्थिति (घनत्व और महत्वपूर्ण प्रजातियों, पक्षी जीवन सरीसृप, तितलियों और अन्य अनुसूचित वन्यप्राणी किसी भी लुप्त प्राय वन्य जीवों की बहुतायत) की स्थिति इस क्षेत्र में वन्य जीवन की नवीनतम गणना।	वन्य जीव- चीतल, सुअर, सियार सामान्यतः पाये जाते हैं। लुप्त प्राजति के वन्य जीव नहीं पाए जाते।			
9	वनस्पति/पशुवर्ग या क्षेत्र में किसी भी अन्य अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र की स्थानिकता।	कोई अद्वितीय परिस्थितिकीय तंत्र मौजूद नहीं है।			
10	वर्तमान भूमि उपयोग। इस क्षेत्र में कार्य करने में कामयाब रहे हैं तो कार्य आयोजना के नुस्खे यदि नहीं, क्यों ?	वर्तमान में भूमि का उपयोग कार्य आयोजना अनुसार कक्ष क्र. आर.एफ. 153, आर.एफ. 154 एवं पी.एफ. 132 में प्रवरण सह सुधार कार्यवृत्त तथा पी.एफ. 164 में आर.डी.एफ. कार्यवृत्त प्रस्तावित है।			
11	ऐतिहासिक या धार्मिक दृष्टिकोण से इस क्षेत्र का महत्व।	ऐतिहासिक, धार्मिक महत्व का क्षेत्र नहीं है।			
12	इस जमीन पर किसी भी व्यक्तियों/परिवार का निर्भरता	इस भूमि पर किसी भी परिवारों की निर्भरता नहीं है।			
13	व्यक्तियों के विस्थापन का प्रस्ताव	विस्थापन की स्थिति नहीं है।			

14	वहां किसी भी पुनर्वास और पुनर्स्थापन की योजना से प्रभावित व्यक्तियों के लिये हैं ? वहां विस्थापित करने के लिये प्रस्तावित व्यक्तियों के बीच किसी भी असहमति आवाज है ?	प्रस्तावित क्षेत्र के व्यक्तियों से असहमति की स्थिति प्रकाश में नहीं आयी है।
15	प्रस्तावित प्रतिपूरक वनीकरण वन भूमि या गैर वन भूमि पर है। वृक्षारोपण के लिये क्षेत्र की उपयुक्तता का स्थान। अगर बिगड़ी वन भूमि में है तो वर्तमान कार्य आयोजना अनुसार विवरण गैर वन भूमि है तो नजदीक वन क्षेत्र से दूरी। मामला क्षेत्र में पैच की संख्या से अधिक किलोमीटर दूर करने के लिये किया जाना चाहिए।	आवेदक संस्था द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण राशि भुगतान करने का वचन पत्र प्रेषित किया गया है।
16	प्रस्तावित क्षेत्र किसी भी संरक्षित क्षेत्र का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा नजदीक के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से दूरी 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर होना चाहिए।	प्रस्तावित क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र नहीं है। संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 10 कि.मी. से अधिक है।
17	इस क्षेत्र में जनजातीय की निर्भरता। चाहे आदिवासी के अधिकार के लिये इस क्षेत्र में मान्यता दी गई है।	अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत मान्यता नहीं दी गई है।
18	परियोजना के पास के इलाके में रहने वाले लोगों सहित परियोजना की उपयोगिता।	परियोजना की स्वीकृत से इलाके के लोगों को रोजगार की संभावना है एवं ग्रामीणों को आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी।
19	नवीकरण के मामले में पूर्व स्वीकृत के आदेश में निर्धारित की गई समस्त शर्तों का पालन किया गया है या नहीं।	प्रकरण नवीनीकरण का नहीं है।
20	गैर साइट विशिष्ट परियोजनाओं के मामले में उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा जांच विकल्प।	निरंक।
21	वन भूमि गैर वानिकी उद्देश्य के न्यूनतम व्यपवर्तन के लिये अनुरोध किया है, उपयोगता एजेंसी द्वारा इसका प्रमाण पत्र	उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा न्यूनतम वन भूमि की उपयोगिता बावत् प्रमाण पत्र दिया गया है।
22	वन भूमि जिसका व्यपवर्तन किया जा रहा है जिस उद्देश्य के लिये सुनिश्चित करते हुए पेड़ वृद्धि को बचाने की कोई गुंजाइश।	प्रस्तावित मार्ग में 658 नग विभिन्न प्रजाति के वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।
23	महत्व के किसी भी अन्य मुद्दे।	कुछ नहीं।
24	परियोजना के अनुमोदन के लिये कारण के साथ डी. एफ.ओ. की विशिष्ट सिफारिशें।	उक्त मार्ग के निर्माण से ग्रामीणों को मुख्य मार्ग से जुड़ जाने पर शुलभ आवागमन की सुविधा के साथ-साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसे अन्य सुविधाएँ उपलब्ध होगी।

स्थान - अनूपपुर

दिनांक / 04/11/2020

वन मण्डल अधिकारी
Divisional Forest Officer
वन मण्डल अनूपपुर (म.प्र.)
Divisional Forest Officer